

9/26

पत्रावली पैदा हुई। वकील प्रार्थी अनु०  
 प्रकार में प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता को  
 विधिपूर्वक कई मर्वा आवाजे लगाई किन्तु  
 कोई उप० नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र  
 अदम-हाजरी, अदम परवी में खा रिज किया जाता  
 है। पत्रावली फेराल शुमार होकर दर्ज नम्बर  
 से कम है।




उपखण्ड अधिकारी, करवा  
 सहायक कलक्टर, करवा